कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्रमांक/मा.चि./

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल राजगढ़

विषयः– राजगढ़ जिले में **Telesonic Network Ltd.** द्वारा **Kurawar-biaora route** में ओ.एफ.सी.लाईन डालने हेतु 0.175 हेक्टयेर वन भूमि के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी करने बावत्। (आन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/47913/ 2018) (हार्ड प्रति प्राप्त दिनांक 24-9.20)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/माचि/1306 दिनांक 17/09/2020

–0–

विषयांतर्गत वनमंडल रजगढ़ अंतर्गत कुरावर से ब्यावरा के मध्य, एन.एच. 52 मार्ग के किनारे किनारे भूमिगत आप्टिकल फायवर केबल लाईन बिछाने हेतु, परिक्षेत्र ब्यावरा, वनखंड कंतौड़ा के वनकक्ष क्र पी. की कुल 0.090 हेक्टेयर वनभूमि, प्रबंधक, टेलीसोनिक, विजयनगर इन्दौर को उपयोग पर देने के लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (Right of way) राईट ऑफ वे के तहत वनमंडलाधिकारी को प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत अनुमति देने बावत् , **प्रकरण का अनुमोदन करने हेतु ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं।**

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां/त्रुटियां परिलक्षित हुई हैः–

1. प्रस्ताव के साथ संलग्न की गई **सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट** एवं **जियो रिफरेंस मेप** के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि प्रस्तावित आप्टिकल फायवर केबल बिछाने से नरसिंहगढ़ अभयारण्य का **वनक्षेत्र भी प्रभावित होगा।** स्थिति स्पष्ट करे।

2. निर्धारित प्रारूप भाग । अ.क्र. C (iv) के संबंध में संलग्न **Geo-referenced map,** एवं **KML file** में उल्लेखित अक्षांश, देशांश, कुरावर से ब्यावरा तक के है। इसमें आवेदित वनक्षेत्र के अक्षांश, देशांश, कोन से हैं, यह स्पष्ट नहीं हैं। कृपया **Geo-referenced map,** एवं **KML file** , में आवेदित वनक्षेत्र पृथक कलर से मार्क करे तथा तदानुसार आवेदित वनक्षेत्र के प्रथम एवं अंतिम बिंदु तथा प्रत्येक मोड़ के बिंदु चिन्हित कर उनके अक्षांश, देशांश, दिये जाये।

3. आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित अक्षांश, देशांश, संलग्न **Geo-referenced map** में उल्लेखित अक्षांश, देशांश, से मेल नहीं खाते हैं। परीक्षण कर सुधार करें। इसके अतिरिक्त उक्त **Geo-referenced map** पर आपके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। कृपया पूर्ती करें।

4. निर्धारित प्रारूप भाग **II** अ.क्र. 8 (iv) में प्रस्तावित स्थल, से 1 किमी के अंदर कोई अभयारण्य नहीं होना बताया गया हैं, जबकि संलग्न मेप के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि प्रस्तावित क्षेत्र से 1 किमी के भीतर नरसिंहगढ़ अभयारण्य हैं।

5. निर्धारित प्रारूप भाग–**II** अ.क्र. 15 में संलग्न Site inspection Report के बिंदु 16 अनुसार आवेदित स्थल अभयारण्य से 10 किमी की परिधी के बाहर होना बताया गया हैं। जबकि संलग्न मेप के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि प्रस्तावित क्षेत्र से नरसिंहगढ़ अभयारण्य, 10 किमी की परिधी के अंदर हैं।

अतः आपसे प्राप्त प्रस्ताव मूलतः वापस किये जाते हैं। कृपया प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर, भविष्य में कोई विवाद न हो को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार कमियों एवं और भी यदि कोई कमी हो तो उसकी भी पूर्ति/समाधान उपरांत, आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर, पूर्ण रूपेण ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत करे, साथ ही उसी दिन प्रस्ताव की हार्ड प्रति भी प्रस्तुत करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

मुख्य वनसंरक्षक,

भोपाल वृत्त भोपाल

28.9.20

E:\tribal act. santioned pragati\Tribal act k tahat sahamati.doc

Scanned with CamScanner